राकेश कुमार जैन, जे.

कविता- याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य आदि - प्रतिवादी

सीडब्ल्यूपी नंबर 15908 साल 2017

02 अगस्त, 2017

भारत का संविधान, 1950- अनुच्छेद 226, 243-ओ और 243-एफ- हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994- धारा 51-नियमित जांच करने के बाद सरपंच का निलंबन- याचिकाकर्ता को महिला उम्मीदवार होने के नाते 8वीं कक्षा उत्तीर्ण करने की अनिवार्य योग्यता नहीं रखने के लिए अधिनियम, 1994 की धारा 175 के साथ पठित धारा 51 के संदर्भ में निलंबन के तहत रखा गया- याचिकाकर्ता द्वारा धारा 51 (5) के तहत दायर अपील को खारिज कर दिया गया- इस आधार पर चुनौती दी गई कि धारा 51 के तहत कार्यवाही अनुच्छेद 243-ओ के मद्देनजर शुरू नहीं की जा सकती थी- तय किया गया की, चुनाव से पहले या बाद में अयोग्यता के बीच का अंतर ठीक है लेकिन प्रासंगिक है यदि चुनाव से पहले- धारा 51 में राहतन निहित है।

यह माना गया कि कानून के उपरोक्त विभिन्न प्रावधानों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि "चुनाव की तारीख से पहले किसी उम्मीदवार की अयोग्यता" और "चुनाव की तारीख के बाद किसी उम्मीदवार की अयोग्यता" के बीच अच्छा अंतर है। (पैरा 7)

आगे कहा कि इसके विपरीत, यदि जांच में उम्मीदवार की अयोग्यता का पता चलता है और यह एक स्थापित तथ्य के रूप में शिकायतकर्ता की जानकारी में नहीं है, तो अधिनियम के तहत अधिकारियों को शिकायत दर्ज की जा सकती है। अधिनियम की धारा 175 विभिन्न अयोग्यताओं को निर्धारित करती है और यह प्रावधान करती है कि कोई भी व्यक्ति सरपंच या पंच या जिला परिषद के सदस्य के रूप में पद पर नहीं रहेगा या ऐसे व्यक्ति के रूप में नहीं रहेगा जिसने उसमें उल्लिखित अयोग्यताओं में से किसी को भी अर्जित किया होगा, लेकिन उसे अयोग्य घोषित करने और उसे हटाने से पहले, एक नियमित जांच आयोजित करने की प्रक्रिया निर्धारित की जाती है, जिसके दौरान निर्वाचित उम्मीदवार को अधिनियम की धारा 51 (5) के संदर्भ में निलंबित किया जा सकता है, यदि सक्षम प्राधिकारी की राय है कि उसके खिलाफ लगाए गए आरोप या कार्यवाही, उसे अपने कर्तव्यों के निर्वहन में शर्मिंदा करने की संभावना है या इसमें नैतिक अधमता या चरित्र का दोष शामिल है और किसी भी कारण से उसे निलंबित किया जा सकता है और पंचायत की किसी भी कार्यवाही में भाग नहीं लेने के लिए कहा जा सकता है और चल वा अचल सम्पति, अभिलेख

आदि, को ग्राम पंचायत में बहुमत वाले पंच को उसके कब्जे में या उसके नियंत्रण में सौंप दिया जा सकता है। लेकिन निलंबन की अवधि आपराधिक मामलों को छोड़कर पद सौंपने की तारीख से एक वर्ष से अधिक नहीं होगी, जिसमें नैतिक अधमता शामिल है और उसे अधिनियम की धारा 51(5) (ए) से (ई) में उल्लिखित आधारों पर हटाया जा सकता है। (पैरा 10)

आगे कहा कि, इस प्रकार, याचिकाकर्ता का यह तर्क दिया कि अधिनियम के तहत अधिकारी, जिन्होंने अधिनियम की धारा 51 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग किया है वह, याचिकाकर्ता को निलंबन के तहत नहीं रख सकते थे और केवल चुनाव याचिका ही अयोग्यता के कारण निर्वाचन न्यायाधिकरण के समक्ष शिकायतकर्ता के पास उपलब्ध उपाय हो सकती थी, जिसका चुनाव के बाद पता चला है, पूरी तरह से गलत धारणा है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है और इस प्रकार सुरिंदर सिंह बनोल्टा के मामले (उपरोक्त) में याचिकाकर्ता द्वारा भरोसा किया गया निर्णय इस मामले में लागू नहीं होता है क्योंकि इसके तथ्यों पर पूरी तरह से भेद किया जा सकता है। (पैरा 11)

विक्रम सिंह, अधिवक्ता , याचिकाकर्ता के लिए।

राकेश कुमार जैन, जे।

(1) याचिकाकर्ता को वर्ष 2015 में ग्राम पंचायत कलाल माजरी, तहसील नारायणगढ़, जिला अंबाला के सरपंच के रूप में चुना गया था। राज कुमार पुत्र कुशवीर नामक व्यक्ति ने उसके खिलाफ 28.11.2016 को शिकायत की कि सरपंच चुनाव के समय याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र वास्तविक नहीं था। उपायुक्त, अंबाला ने अपने दिनांकित 09.12.2016 पत्र के माध्यम से, खंड विकास और पंचायत अधिकारी, शहजादपुर से शिकायत पर उनकी टिप्पणी मांगी। खंड विकास और पंचायत अधिकारी, शहजादपुर ने याचिकाकर्ता के शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र (8वीं कक्षा) की वास्तविकता के बारे में जिला विद्यालय निरीक्षक, सहारनपुर को दिनांकित 17.12.2016 एक पत्र लिखा। जिस पर, जिला विद्यालय निरीक्षक, सहारनपुर ने खंड विकास और पंचायत अधिकारी, शहजादपुर को सूचित किया कि याचिकाकर्ता के रिकॉर्ड में कई कटिंग पाए गए थे और इसलिए, याचिकाकर्ता को जारी किया गया स्थानांतरण प्रमाण पत्र नकली था। खण्ड विकास और पंचायत अधिकारी, शहजादपुर की रिपोर्ट के आधार पर, अंबाला के उपायुक्त ने याचिकाकर्ता को कारणदर्शक नोटिस जारी किया कि उसे धारा 51 हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) के तहत निलंबित क्यों नहीं किया जाना चाहिए। एक महिला उम्मीदवार होने के नाते 8 वीं कक्षा उत्तीर्ण करने की अनिवार्य योग्यता नहीं रखने के

लिए। याचिकाकर्ता ने अपना जवाब 10.01.2017 पर प्रस्तुत किया और आरोपों से इनकार किया, लेकिन दिनांक 24.03.2017 के आदेश के माध्यम से, उपायुक्त ने याचिकाकर्ता को यह देखते हुए निलंबित कर दिया कि नियमित जांच के आदेश याचिकाकर्ता को पंचायत की किसी भी कार्यवाही या बैठक में भाग लेने से अलग से प्रतिबंधित कर दिए गए हैं और ग्राम पंचायत की चल-अचल संपत्ति या रिकॉर्ड आदि को बहुमत पंच को सौंप दिया गया है।

(2) उक्त आदेश के खिलाफ पीड़ित याचिकाकर्ता ने अधिनियम की धारा 51 (5) के तहत अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष वैधानिक अपील दायर की। हालाँकि, उनकी अपील को 30.06.2017 पर खारिज कर दिया गया था। यह देखा गया कि अधिनियम की धारा 175 (v) के प्रावधान में कहा गया है कि महिला उम्मीदवार या अनुसूचित जाति से संबंधित उम्मीदवार के मामले में न्यूनतम योग्यता 8वीं कक्षा उत्तीर्ण है और याचिकाकर्ता द्वारा संलग्न उसकी शिक्षा का प्रमाण पत्र वास्तविक नहीं पाया गया है।

(3) याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया है कि अधिनियम की धारा 51 के तहत कार्यवाही भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-ओ को देखते हुए शुरू नहीं की जा सकती थी क्योंकि उनके अनुसार, याचिकाकर्ता की 8वीं कक्षा उत्तीर्ण नहीं होने की अयोग्यता मामले की जड़ तक जाती है, जिसके लिए एकमात्र उपाय चुनाव याचिका दायर करना था। इस संबंध में, उन्होंने

हिमाचल प्रदेश राज्य के मामले में दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय **हिमाचल प्रदेश राज्य** वा **अन्य बनाम सुरिंदर सिंह बनोल्टा 2007(1) आर. सी. आर (सिविल 254),** पर भरोसा किया है !

(4) मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और उनकी समर्थ सहायता से उपलब्ध रिकॉर्ड की जांच की है।

(5) याचिकाकर्ता के अनुसार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-एफ (1) (बी) के अनुसार, एक व्यक्ति को पंचायत के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा, यदि वह राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी अधिनियम द्वारा या उसके तहत अयोग्य घोषित किया जाता है और उस स्थिति में, चुनाव याचिका ही एकमात्र उपाय है क्योंकि यह चुनाव न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाएगा, न कि अधिनियम के तहत अधिकारियों द्वारा। उनके अनुसार, भले ही याचिकाकर्ता के चुनाव के समय योग्यता की कमी थी क्योंकि उसके पास 8वीं कक्षा पास का वास्तविक प्रमाण पत्र नहीं था, जो अधिनियम की धारा 175 (v) के प्रावधान के तहत अनिवार्य आवश्यकता थी, अधिनियम की धारा 51 के तहत कार्यवाही उसके खिलाफ शुरू नहीं की जा सकती थी और वे स्वयं अवैध हैं।

(6) याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्क की सराहना में , भारत के संविधान और अधिनियम के कुछ प्रावधानों

काउल्लेख करना प्रासंगिक होगा, जिन्हें निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया हैः-

"243च. (1) एक व्यक्ति को पंचायत के सदस्य के रूप में चुने जाने और होने के लिए अयोग्य ठहराया जाएगा, -

(क) यदि वह संबंधित राज्य के विधानमंडल के चुनाव के प्रयोजनों के लिए तत्काल लागू किसी कानून द्वारा या उसके तहत इस प्रकार अयोग्य घोषित किया जाता हैः

बशर्ते कि किसी भी व्यक्ति को इस आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा कि उसकी आयु पच्चीस वर्ष से कम है, यदि वह 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है।

(ख) यदि वह राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार अयोग्य ठहराया गया है।

(2) यदि इस बारे में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या पंचायत का कोई सदस्य धारा(1) में उल्लिखित किसी अयोग्यता के अधीन हो गया है, तो प्रश्न को ऐसे प्राधिकारी के निर्णय के लिए और उस तरीके से भेजा जाएगा जो किसी राज्य का विधानमंडल कानून द्वारा प्रदान करे।"

"243-ओ. इस संविधान में कुछ भी होने के बावजूद, -

(क) निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन या ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के लिए सीटों के आवंटन से संबंधित किसी भी कानून की वैधता, जो अनुच्छेद 243के के तहत बनाई गई या की जानी चाहिए, किसी भी अदालत में प्रश्न में नहीं रखी जाएगी;

(ख) किसी भी पंचायत के लिए कोई भी चुनाव प्रश्न में नहीं बुलाया जाएगा, सिवाय उस चुनाव याचिका के जो ऐसे प्राधिकरण को प्रस्तुत की जाती है और उस तरीके से जो किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी कानून द्वारा या उसके तहत प्रदान की जाती है।"

"51. किसी सरपंच या पंच का निलंबन और निष्कासन।--

(1) संबंधित निदेशक या उपायुक्त, जैसा भी मामला हो, किसी भी सरपंच या पंच को निलंबित कर सकता है-(क) जहां किसी आपराधिक अपराध के संबंध में उसके खिलाफ कोई मामला जांच, जांच या मुकदमे के तहत है, यदि संबंधित निदेशक या उपायुक्तों की राय में उसके खिलाफ लगाए गए आरोप या कार्यवाही से उसे अपने कर्तव्यों के निर्वहन में शर्मिंदा होने की संभावना है या इसमें नैतिक अधमता या चरित्र का दोष शामिल है; कविता बनाम हरियाणा राज्य और अन्य।

(ख) पूछताछ के दौरान, उन्हें स्पष्टीकरण देने का पर्याप्त अवसर देने के बाद, किसी भी कारण के लिए, जिसके लिए उन्हें हटाया जा सकता है।

(2) जैसा भी मामला हो, उप-धारा (1) के तहत निलंबित कोई भी सरपंच या पंच अपने निलंबन की अवधि के दौरान ग्राम पंचायत के किसी भी कार्य या कार्यवाही में भाग नहीं लेगा और अपने कब्जे में या अपने नियंत्रण में ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड, धन या कोई अन्य संपत्ति सौंप देगा (i) यदि वह ग्राम पंचायत में बहुमत वाले पंच का सरपंच है;

(ii) यदि वह पंच से लेकर पंच तक हैः

बशर्ते कि, यथास्थिति, किसी पंच या सरपंच की निलंबन अवधि, निलंबन आदेश के अनुसरण में आरोप सौंपने की तारीख से एक वर्ष से अधिक नहीं होगी, सिवाय नैतिक अधमता वाले आपराधिक मामलों के।

(3)संबंधित निदेशक या उपायुक्त, ऐसी जांच के बाद, जो वह उचित समझे, और, यथास्थिति, किसी सरपंच या पंच को सुनवाई का अवसर देने के बाद, उसे अपने खिलाफ की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई के खिलाफ कारण बताने के लिए कह सकता है, और आदेश द्वारा उसे अपने पद से हटा सकता है -

(क) यदि उसके चुनाव के बाद वह एक आपराधिक अदालत द्वारा नैतिक अधमता से जुड़े अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है और छह महीने से अधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय होता है;

(ख) यदि वह अपने चुनाव के समय ग्राम पंचायत का सदस्य होने के लिए अयोग्य घोषित किया गया था;

(ग) यदि वह ग्राम पंचायत के सदस्य के रूप में अपने चुनाव के बाद धारा175 में उल्लिखित अयोग्यताओं में से कोई भी लेता है;

(घ) यदि वह ग्राम पंचायत की पूर्व अनुमति या अनुमति के बिना ग्राम पंचायत की लगातार पांच बैठकों में अनुपस्थिति है; और

(ङ) यदि वह अपने कर्तव्यों के निर्वहन में कदाचार का दोषी रहा है और पद पर उसका बने रहना जनहित में अवांछनीय है।

(4) एक व्यक्ति जिसे उप-धारा (3) के तहत हटा दिया गया है, उसे उस अवधि के लिए फिर से चुनाव के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है जिसका उल्लेख आदेश में किया जा सकता है लेकिन छह साल की अवधि से अधिक नहीं।

(5) कोई भी व्यक्ति जो उप-धारा (1), (3) और (4) के तहत पारित आदेश से व्यथित है, आदेश के संचारित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर सरकार को अपील कर सकता है।

(6) यथास्थिति, उप-धारा (3) के अधीन हटाए गए किसी भी सरपंच या पंच को अपने कब्जे में या अपने नियंत्रण में ग्राम पंचायत के अभिलेख, धन या कोई अन्य संपत्ति सौंपनी होगी -

(i) यदि वह ग्राम पंचायत में बहुमत वाले पंच का सरपंच है; और

(ii) यदि वह पंच से लेकर पंच तक है।”

“175. अयोग्यताएँ।-- कोई भी व्यक्ति किसी ग्राम पंचायत का सरपंच या पंच या पंचायत समिति या जिला परिषद का सदस्य नहीं होगा या इस तरह से बना रहेगा-(अए) से (यू) तक

(वी) किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान/बोर्ड से मैट्रिक परीक्षा या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की हैः

बशर्ते कि किसी महिला, उम्मीदवार या अनुसूचित जाति से संबंधित उम्मीदवार के मामले में, न्यूनतम योग्यता मध्य उत्तीर्ण होगीः

बशर्ते कि पंच पद के लिए चुनाव लड़ने वाली अनुसूचित जाति की महिला उम्मीदवार के मामले में न्यूनतम योग्यता 5वीं उत्तीर्ण होगी; या XXX XXX XXX "

“176. द्वारा चुनाव जांच की वैधता का निर्धारण

न्यायाधीश और प्रक्रिया।-- (1) यदि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद के सदस्य या ग्राम पंचायत के सरपंच, पंचायत समिति या जिला परिषद के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के किसी भी चुनाव की वैधता पर सवाल उठाया जाता है, तो कविता बनाम हरियाणा राज्य और अन्य चुनाव लड़ने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा या चुनाव में मतदान करने के लिए योग्य किसी भी व्यक्ति द्वारा, जिससे ऐसा प्रश्न संबंधित है, ऐसा व्यक्ति चुनाव के परिणामों की घोषणा की तारीख के बाद तीस दिनों के भीतर किसी भी समय, उस क्षेत्र में सामान्य अधिकार

क्षेत्र वाले दीवानी न्यायालय में एक चुनाव याचिका प्रस्तुत कर सकता है, जिसके भीतर ऐसे प्रश्न के निर्धारण के लिए चुनाव किया गया है या होना चाहिए था।

(2) एक याचिकाकर्ता निम्नलिखित व्यक्तियों को छोड़कर अपनी चुनाव याचिका में प्रतिवादी के रूप में शामिल नहीं होगाः–

(क) जहां याचिकाकर्ता सभी या किसी भी लौटे उम्मीदवार के चुनाव की वैधता को चुनौती देने के अलावा इस बात का दावा करता है कि वह स्वयं या किसी अन्य उम्मीदवार को विधिवत चुना गया है, याचिकाकर्ता के अलावा सभी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार और जहां ऐसी कोई और राहत का दावा नहीं किया जाता है, वहां सभी लौटे उम्मीदवार;

(ख) कोई अन्य उम्मीदवार जिसके खिलाफ चुनाव याचिका में किसी भी भ्रष्ट आचरण के आरोप लगाए गए हैं।

(3) उप-धारा (1) के तहत प्राप्त सभी चुनाव याचिकाओं, जिनमें एक ही निर्वाचन प्रभाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए सदस्यों के चुनाव की वैधता प्रश्नगत है, की सुनवाई उसी दीवानी न्यायालय द्वारा की जाएगी।

(4) (क) यदि ऐसी जांच करने पर दीवानी अदालत को पता चलता है कि किसी उम्मीदवार ने चुनाव के उद्देश्य से, उप-धारा (5) के अर्थ के भीतर एक भ्रष्ट प्रथा को अंजाम दिया है, तो वह चुनाव को रद्द कर देगा और

उम्मीदवार को चुनाव के उद्देश्य के लिए अयोग्य घोषित कर देगा और फिर से चुनाव कराया जा सकता है।

(क क) यदि ऐसी जांच करने पर सिविल न्यायालय यह पाता है कि-

(i) अपने चुनाव की तारीख को एक वापस आया हुआ उम्मीदवार निर्वाचित होने के योग्य नहीं था;

(ii) किसी भी नामांकन को अनुचित रूप से अस्वीकार कर दिया गया है; या

(iii) चुनाव का परिणाम, जहाँ तक यह एक लौटे हुए उम्मीदवार से संबंधित है, किसी भी नामांकन की अनुचित स्वीकृति या उसके चुनाव एजेंट के अलावा किसी अन्य एजेंट द्वारा या अनुचित 358 द्वारा लौटे हुए उम्मीदवार के हित में किए गए किसी भी भ्रष्ट अभ्यास से भौतिक रूप से प्रभावित हुआ है। भारत के संविधान या इस अधिनियम या इस अधिनियम के तहत बनाए गए किसी भी नियम या आदेश के प्रावधानों का पालन न करने या उनका उल्लंघन करने पर ऐसे निर्वाचित उम्मीदवार का चुनाव रद्द कर दिया जाएगा और नए सिरे से चुनाव कराया जा सकता है।;

(ख) यदि किसी ऐसे मामले में जिसमें 2 [धारा(क) या धारा(क) लागू नहीं होता है, दो या दो से अधिक उम्मीदवारों के बीच चुनाव की वैधता पर विवाद है, तो अदालत प्रत्येक उम्मीदवार के पक्ष में दर्ज मतों की जांच

और गणना के बाद, उन उम्मीदवारों को घोषित करेगी जिनके पक्ष में सबसे अधिक वैध मत पाए गए हैं, वे कर्तव्य निर्वाचित हुए हैंः

बशर्ते कि ऐसी गणना के बाद, यदि कोई हो, तो किसी भी उम्मीदवार के बीच मतों की समानता पाई जाती है और एक मत जोड़ने से कोई भी उम्मीदवार निर्वाचित घोषित होने का हकदार हो जाएगा, ऐसे उम्मीदवार या उम्मीदवारों के पक्ष में प्राप्त वैध मतों की कुल संख्या में एक अतिरिक्त मत जोड़ा जाएगा, जो न्यायाधीश की उपस्थिति में उस तरीके से चुना जाता है जो वह निर्धारित करे।

(5)किसी व्यक्ति को भ्रष्ट आचरण करने वाला माना जाएगा -

(क) जो किसी मतदाता को किसी उम्मीदवार के पक्ष में वोट देने या देने से रोकने के लिए प्रेरित करने की दृष्टि से, कोई धन या मूल्यवान प्रतिफल प्रदान करता है या देता है, या व्यक्तिगत लाभ का कोई वादा करता है, या किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने का कोई खतरा रखता है; या

(ख) जो किसी व्यक्ति को खड़े होने या न होने या चुनाव में उम्मीदवार होने से पीछे हटने या न हटने के लिए प्रेरित करने की दृष्टि से, कोई धन या मूल्यवान प्रतिफल प्रदान करता है या देता है या कोई वादा या व्यक्तिगत लाभ रखता है या किसी व्यक्ति को चोट पहुँचाने का कोई खतरा रखता है; या

(ग) जो किसी भी मतदाता (स्वयं व्यक्ति, उसके परिवार के सदस्यों या उसके एजेंट के अलावा) को किसी मतदान केंद्र से लाने-ले जाने के लिए भुगतान पर या अन्यथा कोई वाहन या पोत किराए पर लेता है या खरीदता है।

स्पष्टीकरण 1.- एक भ्रष्ट प्रथा को एक उम्मीदवार द्वारा किया गया माना जाएगा, यदि यह एक ऐसे व्यक्ति द्वारा उसकी जानकारी और सहमति से किया गया है जो चुनाव के संदर्भ में ऐसे उम्मीदवार के सामान्य या विशेष प्राधिकरण के तहत काम कर रहा है।

स्पष्टीकरण 2.- "वाहन" पद का अर्थ है सड़क परिवहन के उद्देश्य से उपयोग किया जाने वाला या उपयोग करने में सक्षम कोई भी वाहन, चाहे वह यांत्रिक शक्ति से संचालित हो या अन्यथा, और चाहे वह अन्य वाहनों को खींचने के लिए या अन्यथा उपयोग किया जाता हो।”

(7) कानून के उपरोक्त विभिन्न प्रावधानों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि "चुनाव की तारीख से पहले किसी उम्मीदवार की अयोग्यता" और "चुनाव की तारीख के बाद किसी उम्मीदवार की अयोग्यता" के बीच अच्छा अंतर है।

(8) **सुरिंदर सिंह बनोल्टा** के मामले (उपरोक्त) में, सर्वोच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 के समान प्रावधानों पर विचार किया है।उक्त मामले में, सुरिंदर सिंह बनोल्टा को 05.01.2001 पर

जिला परिषद के सदस्य के रूप में चुना गया था।उनके खिलाफ दौलत राम नामक व्यक्ति द्वारा उपायुक्त, शिमला के समक्ष एक आवेदन दायर किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि निर्वाचित उम्मीदवार को पहले ही हिमाचल प्रदेश सार्वजनिक परिसर (किराया वसूली और भूमि बेदखली) अधिनियम, 1971 की धारा 4 और 7 के अर्थ के भीतर अतिक्रमणकारी घोषित किया जा चुका है और उन्हें निर्वाचित पद पर बने रहने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था और इस प्रकार, उन्हें इस पद पर बने रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।उपायुक्त ने उक्त शिकायत का संज्ञान लेते हुए सुरिंदर सिंह बनोल्टा को जिला परिषद के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया और उनका चुनाव रद्द कर दिया गया।उस आदेश के खिलाफ, मामला उच्चतम न्यायालय तक पहुँचा जहाँ इन तथ्यों से यह पाया गया कि सुरिंदर सिंह बनोल्टा को वर्ष 1998 में अतिक्रमणकारी घोषित किया गया था और उन्हें 05.01.2001 पर जिला परिषद के सदस्य के रूप में चुना गया था।इस पृष्ठभूमि में, उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि "एक बार, इस प्रकार, किसी व्यक्ति को उस तारीख से पहले अतिक्रमणकारी घोषित कर दिया जाता है जिस दिन उसे निर्वाचक घोषित किया गया है और यदि उक्त आदेश ने अंतिमता प्राप्त कर ली है, तो यह सवाल कि क्या वह अधिनियम की धारा122 के प्रावधानों के संदर्भ में अयोग्य था, हमारी राय में, केवल एक चुनाव याचिका के माध्यम से उठाया जाना चाहिए।यदि श्री

अत्री के निवेदन को स्वीकार किया जाना है, तो इसके परिणामस्वरूप एक विसंगत स्थिति हो सकती है।यदि किसी उम्मीदवार या मतदाता को यह जानकारी थी कि निर्वाचित उम्मीदवार को अधिनियम की धारा122 के अनुसार अयोग्य ठहराया गया था, तो वह आवेदन दायर कर सकता है।बेदखली का आदेश 360 के बाद किसी अन्य व्यक्ति के ध्यान में आ सकता है। चुनाव प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इस प्रकार, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जहां दो अलग-अलग व्यक्तियों के कहने पर दो अलग-अलग अधिकारियों के समक्ष दो अलग-अलग कार्यवाहियां हो सकती हैं।दो समानांतर कार्यवाही, जो अच्छी तरह से तय की गई है, को एक ही समय में जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।इसलिए ऐसी अधिनियम के निर्माण से बचा जाना चाहिए जिससे ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है।यदि दो अलग-अलग न्यायालयों को विरोधाभासी निर्णय लेने की अनुमति दी जाती है तो यह एक अर्थहीनता भी होगी।

(9) उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों में, इस प्रकार, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि चुनाव को चुनौती देने के लिए दो समानांतर कार्यवाही नहीं हो सकती हैं, एक न्यायाधिकरण के समक्ष चुनाव याचिका के माध्यम से और दूसरा अधिनियम के तहत निर्धारित प्राधिकारी के समक्ष निर्वाचित उम्मीदवार को हटाने की मांग के लिए आवेदन के माध्यम से। (10) इसके विपरीत, यदि जांच में लौटे उम्मीदवार की अयोग्यता का पता चलता है और यह एक स्थापित तथ्य के रूप में

शिकायतकर्ता की जानकारी में नहीं था, तो कानून के तहत अधिकारियों को शिकायत दर्ज की जा सकती है।अधिनियम की धारा175 विभिन्न अयोग्यताओं को निर्धारित करती है और यह प्रावधान करती है कि कोई भी व्यक्ति सरपंच या पंच या जिला परिषद के सदस्य के रूप में जारी नहीं रहेगा या ऐसे व्यक्ति के रूप में जारी नहीं रहेगा जिसने उसमें उल्लिखित अयोग्यताओं में से किसी को भी अर्जित किया होगा, लेकिन उसे अयोग्य घोषित करने और उसे हटाने से पहले, एक नियमित जांच आयोजित करने की प्रक्रिया निर्धारित की जाती है, जिसके दौरान निर्वाचित उम्मीदवार को अधिनियम की धारा 51 (5) के संदर्भ में निलंबित किया जा सकता है, यदि सक्षम प्राधिकारी की राय है कि उसके खिलाफ लगाए गए आरोप या कार्यवाही, उसे अपने कर्तव्यों के निर्वहन में शर्मिंदा करने की संभावना है या इसमें नैतिक अधमता या चरित्र का दोष शामिल है और किसी भी कारण से उसे निलंबित किया जा सकता है और पंचायत की किसी भी कार्यवाही में भाग नहीं लेने के लिए कहा जा सकता है और चल कार्यवाही को सौंप दिया जा सकता है।

(11) इस प्रकार, याचिकाकर्ता का यह तर्क कि अधिनियम के तहत अधिकारी, जिन्होंने अधिनियम की धारा 51 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग किया है, याचिकाकर्ता को निलंबन के तहत नहीं रख सकते थे और अयोग्यता के कारण निर्वाचन न्यायाधिकरण के समक्ष शिकायतकर्ता के पास केवल चुनाव याचिका उपलब्ध हो सकती थी, जिसका चुनाव के बाद

पता चला है, गलत धारणा को स्वीकार नहीं किया जा सकता है और इस प्रकार निर्णय **सुरिंदर सिंह बनोल्टा के मामले** पर भरोसा किया गया में याचिकाकर्ता द्वारा इस मामले में लागू होना अपने तथ्यों पर पूरी तरह से अलग है।

(12) कोई अन्य मुद्दा नहीं उठाया गया है।

(13) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान रिट याचिका को किसी भी योग्यता से वंचित करते हुए खारिज कर दिया जाता है, हालांकि लागत के रूप में किसी भी आदेश के बिना।

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निणर्य वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्येश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्येश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

(नरेंदर)
ट्रांसलेटर
कोर्ट ऑफ़ श्री के. पी. सिंह,
एडिशनल सेशंस जज, भिवानी !